न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 60/2025 बउनवानी राकेश कुमार **बनाम** अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री हरिचरण अग्रवाल नि0 जज बंगला के पीछे नर्सिंग कॉलोनी गंगापुर सिटी

Appeal Number-321858981983076

GCMS No-2025/ 168

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा जगदीश सिंधी के सस्पेंशन बाबत लिखा गया पत्रांक 5477 दिनांक 12.7.2025 की प्रमाणित प्रति"* उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई/2025/52 दिनांक 28.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये पत्रांक/संस्था/2023/5574 दिनांक 12.7.2025 एवं कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 3(9)3/अनु.कार्य/स्था./2023/2806 दिनांक 12.7.2023 एवं जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक प.3/स्था./2024/22.11.2024 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक आरटीआई/2025/34 दिनांक 3.7.2025 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक आरटीआई/2025/34 दिनांक 3.7.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner